



का.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters

पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdweep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

स. एन-15011/1/2021-योववि

दिनांक : 12.08.2022

परिपत्र

Circular

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम एवं शिवगंगै जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी।

Sub: Implementation of ESI Act in the entire area of Ramanathapuram and Sivagangai districts in the State of Tamil Nadu


उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड-(II) में दिनांक 10.08.2022 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 3741(अ) दिनांक 10 अगस्त, 2022 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-10082022-238021)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम एवं शिवगंगै जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.09.2022 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 3741(E) dated 10th August, 2022 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (II) on 10.08.2022 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-10082022-238021)

Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in the entire area of **Ramanathapuram and Sivagangai districts** in the State of Tamil Nadu shall be effective from 01.09.2022.

संलग्न - यथोपरि


12/8/22
(पी आर सिन्हा)

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, तमिलनाडु को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।